पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 06 अभियुक्त अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 08.07.2024

दिनांक 07/08.07.2024 को थाना बीकेटी 01, गोमतीनगर 01, काकोरी 01, मानकनगर 03, अभियुक्त गिरफ्तार।

इस प्रकार वांछित में कुल 06 अभियुक्त गिरफ्तार।

भादवि/ बी0एन0एस0

थाना बीबीडी- दिनांक 08.07.2024 को थाना बीबीडी द्वारा बताया गया कि वादिनी श्रीमती पिंकी पत्नी कमलेश कुमार निवासिनी ग्राम कंचनपुर मुड़िया थाना गोला जिला लखीमपुर खीरी हालपता तकरोही मानस बिहार थाना इन्दिरानगर लखनऊ ने थाना बीबीडी पर सूचना दिया कि दिनांक 06.07.2024 को वादिनी के पति कमलेश कुमार अपने वाहन संख्या यू0पी0 31 सी0वी0 1722 से अपने पिता बनवारी से मिलने के बाद जुग्गौर से किसान पथ पर आये थे। वही पर किसी अज्ञात वाहन के चालक द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए वादिनी के पति की गाडी में टक्कर मार दी। जिससे वादिनी के पति कमलेश कुमार उपरोक्त की मृत्यु हो गयी। **इस सूचना पर थाना बीबीडी पर मु0अ0सं0- 104/2024 धारा- 281/106/324(4) बी0 एन0 एस0 का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना मडियांव- दिनांक 08.07.02024 को थाना मडियांव द्वारा बताया गया कि वादिनी कु0 रोली पाल पुत्री श्री सुभाषचन्द्र पाल निवासिनी मकान न0 ES1B/899 पल्टन छावनी सेक्टर-ए अलीगंज लखनऊ ने थाना मडियांव पर सूचना दिया कि वादिनी को जीवन साथी डांट काम पर शादी के लिये नितिन पाल नामक व्यक्ति से सम्पर्क हुआ। जिसके बाद हम दोनों में बातचीत शुरु हुई। उसके नितिन पाल द्वारा वादिनी के परिवार से भी बातचीत होने लगी। फिर एक दिन नितिन पाल वादिनी के परिवार से वादिनी के घर पर आकर भी मिला। जिससे कि वादिनी के परिवार में उसके प्रति विश्वास बन सके। फिर हमसे आगे चलकर उसने भोली भाली बातों में लेकर वादिनी से कुल 4,61,500/- रुपये (चार लाख इकसठ हजार पांच सौ रुपये) और वादिनी की सहेली से लिया। **इस सूचना पर मु0अ0सं0- 399/2024 धारा- 66 डी आई0टी0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना गोमतीनगर विस्तार- दिनांक 08.07.2024 को थाना गोमतीनगर विस्तार द्वारा बताया गया कि वादी श्री शाह आलम पुत्र स्वर्गीय रफी उल्लाह सिद्दिकी निवासी गली नं0- 15 छोटा भरवारा गोमती नगर विस्तार जनपद लखनऊ ने थाना गोमतीनगर विस्तार पर सूचना दिया कि दिनांक 06.07.24 समय लगभग 7.30 बजे शाम को वादी बुआ के घर घरेलू कार्यक्रम में सपरिवार गये थे। जब वादी व वादी के परिवार वाले सभी लोग घर वापस आये तो देखा घर में चोरी हो चुकी है। वादी द्वारा जब घर के अन्दर जाकर देखा कि किसी अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से सोने चांदी के जेवरात, कुछ चाँदी के बर्तन, ए०टी०एम० और लगभग 20,000/- हजार रुपये चोरी कर लिया गया है। **इस सूचना पर थाना गोमतीनगर विस्तार पर मु0अ0सं0- 132/2024 धारा- 305(क) बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>थाना सरोजनीनगर-</u> दिनांक 08.07.2024 को थाना सरोजनीनगर द्वारा बताया गया कि वादिनी श्रीमती वीनू पत्नी सुरेश कुमार निवासिनी ई-5/147 आवास विकास कालोनी राजाजीपुरम जनपद लखनऊ ने थाना सरोजनीनगर को सूचना दिया कि दिनांक 04.07.2024 को समय करीब रात्रि 10:00 बजे वादिनी का पुत्र अतुल मिश्रा आयु लगभग 30 वर्ष घर से ट्रान्सपोर्ट नगर बिक्री की गयी अपने वाहन सख्या यू0पी0 77 ए0एन0 2939 को क्रेता को देने गया था। ट्रक सं0- यू0पी0 70एफ0टी0 5620 डी0सी0एम0 और यू0पी0 77 ए0 एन0 2939 पार्क सख्या 1 पर आगे पीछे खड़ी थी कि वादिनी का पुत्र अपने ट्रक के आगे एवम यू0पी0 70 एफ0टी0 5620 के पीछे खड़े होकर क्रेता के चालक को, जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था नीचे सामने खड़े होकर कुछ समझा रहा था। इतने में वाहन सख्या (ट्रक) यू0पी0 77 ए0एन0 2939 के चालक द्वारा अचानक अपने वाहन को आगे चला देने के कारण वादिनी का पुत्र अतुल मिश्रा उक्त दोनों वाहनो के बीच में फंसकर घायल हो गया। वादिनी के पुत्र को तत्काल लोकबन्दु अस्पताल ले जाया गया। जहां दौराने इलाज वादिनी के पुत्र अतुल मिश्रा को डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। उक्त घटना यू0पी0 77 ए0 एन0 2939 के चालक द्वारा अपने वाहन को असावधानी पूर्वक एवम अपने वाहन पर से नियन्त्रण खो देने के कारण घटित हुई। **इस सूचना पर थाना सरोजनीनगर पर मु0अ0सं0- 279/2024 धारा- 281/106 बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>थाना पीजीआई-</u> दिनांक 08.07.2024 को थाना पीजीआई द्वारा बताया गया कि वादी श्री विवेक यादव पुत्र स्व० श्री राजेन्द्र यादव निवासी 503/174 बरौलिया डालीगंज लखनऊ ने थाना पीजीआई पर सूचना दिया कि दिनांक 17.06.2024 समय लगभग 2.00 बजे रात को वादी व वादी के पिता राजेन्द्र यादव उम्र लगभग 60 वर्ष जो अपने रिश्तेदार के पक्ष से अपने घर के लिए शहीद पथ से कमता की ओर जा रहे थे। तभी उतरठिया फ्लाई ओवर के ऊपर (कट) पीछे से एक चार पहिया वाहन के चालक नाम पता अज्ञात द्वारा कार को तेजी व लापरवाही से चलाकर वादी की मोटरसाइकिल संख्या यू0पी0 32 ई0 वाई0 0529 सी0बी0 साइन मोटरसाइकिल पर जोरदार टक्कर मारी दिया। जिससे वादी को गम्भीर चोट आयी वादी किसी तरह जीवित बच गया तथा अभी भी वादी का इलाज चल रहा है। उक्त घटना में वादी के पिता राजेन्द्र यादव उपरोक्त की घटना स्थल एपेक्स ट्रामा सेन्टर लेकर गये, जहाँ इलाज के दौरान डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। वादी के पिता की तेंरवही दिनांक 30.06.2024 के होने के उपरान्त थाने पर आया है। **इस सूचना पर थाना पीजीआई पर मु0अ0सं0- 476/2024 धारा- 279/338/304 ए का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**